# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 25/2022
रामस्वरूप पुत्र नोरंगराम, उम्र वयस्क, जाति धानक, निवासी ग्राम बुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार महोदय, मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं।
—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार मण्ड्रेला ब उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामस्वरूप मु0न0 06/2021 अ.धारा 91 भु—राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 05.10.2021

——

उपस्थितः—

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर

## आदेश

दिनांक 28.07.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार मण्ड्रेला के निर्णय दिनांक 05.10.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट को अदालत मातहत की ओर से अ0धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का कानूनी नोटिस दिया गया था कि राजस्व भूमि ख0न0 61 रकबा 0.76 है0 कृषि भूमि में से 0.06 है0 भूमि में राजकीय रास्ते में अपीलाण्ट ने अपना अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अदालत मातहत के नोटिस अपीलाण्ट को मिलने पर अपीलाण्ट ने नियत दिनांक को उपस्थित होकर अदालत मातहत के समक्ष जवाब नोटिस पेश किया। जवाब नोटिस के लिए गये उज्ररातो पर अदालत मातहत ने कोई गौर नही कर विवादित आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट नीचे लिखे उज्ररातों के साथ अपील पेश कर रहा है। अदालत मातहत का आलोच्य आदेश पत्रावली के तथ्यों व कानून के खिलाफ है। ख0न0 61 में गैर मुमकिन रास्ता रेकार्ड में गलत दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि पर कोई रास्ता मौजूद नही है। अदालत मातहत ने बिना मौका देखे मनमाने तरीके से विवादित आदेश पारित किया है। नक्शा में जिस स्थान पर रास्ता दिखाया गया है वहां पर ख0न0 61 रास्ता नही है, उक्त रास्ता नक्शे में दिखाये गये स्थान से हटकर अपीलाण्ट के खेत ख0न0 46 की पश्चिम दिशा से 50 मीटर दूरी पर स्थित है तथा उक्त रास्ता उत्तर में ख0न0 821/33 की पश्चिम सीमा से सटते घुसता है तथा दक्षिण में ख0न0 47 में घुसता है जो मौके पर चालू है जिस पर अपीलाण्ट कोई काश्त नही करता है तथा नक्शा में दिखाया गया रास्ता ख0न0 61 पूर्ण रूप से अपीलाण्ट के खेत में व अपीलाण्ट के खेत के उत्तर दक्षिण में खेतो में होता हुआ ग्राम तक बंद है व उक्त रास्ता में वर्तमान में मकानात [illegible] अपने खेत में रास्ता खुला छोड रखा है। जो रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नही है। अपीलाण्ट में खे[illegible] के खातेदार जुगलाल पुत्र बनवारी ने अपीलाण्ट के खिलाफ एक धारा 251 ( क ) [illegible] प्रस्तुत किया था जो साजसी आधार पर फैसल करा लिया गया जबकि अपीलाण्ट के सह खातेदार [illegible] की काफी समय पूर्व [illegible] मृत्यु हो चुकी है फिर भी उक्त मृतक की तामील करा दी गई जो संभव नही है। अपीलाण्ट ने उ[illegible]र्णय की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनूं के यहां प्रस्तुत की [illegible] स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली को रिमांड फरमाया गया है। अपील के तथ्यों का विवरण अपीलाण्ट के अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.01 17:30:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

जवाब नोटिस में किया था परन्तु अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपील का कही भी विवेचन नही किया है और मनमाना आलोच्य आदेश पारित कर दिया है। तथाकथित रास्ता ख0न 61 मौके पर अस्तित्व में नही है तथा जो रास्ता मौके पर अस्तित्व में है वह रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज नही है जिसको संशोधित करवाने बाबत अपीलाण्ट ने एक दावा ब उनवानी रामस्वरूप बनाम चांदकोर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा में पेश कर रखा है जो विचाराधीन है जिसकी भी प्रामाणित प्रति अदालत मातहत के समक्ष अपीलाण्ट ने प्रस्तुत कर दी थी परन्तु अदालत मातहत के निर्णय में इसका कही भी विवेचन नही किया और गलत निर्णय पारित कर दिया। भूमि ख0न0 61 में मौके पर कोई रास्ता मौजूद नही है। मौके पर ख0न0 46 की पश्चिम दिशा से 50 मीटर दूर स्थित है जो मौके पर चालू है, जो रेकार्ड में सरकारी कर्मचारियों की गलती से रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज नही हुआ है परन्तु बिना मौके की जांच किये व प्रस्तुत दस्तावेज पर गौर किये बिना अपीलाण्ट के खिलाफ धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर अदालत मातहत द्वारा गलत आलौच्य आदेश पारित किया गया है। उक्त सभी उज्रातो पर अदालत मातहत ने गौर नही कर अपीलाण्ट के खिलाफ गलत निर्णय पारित किया गया है जिसको निरस्त किया जाकर पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ लौटाई जावे कि माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय चिडावा में चल रहे उपर वर्णित दावा के निस्तारण तक अ0धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। अतः अपीलाण्ट की ओर से अपील पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 05.10.2021 को निरस्त व अपास्त फरमाया जावे तथा अदालत मातहत को पत्रावली इस आदेश के साथ लौटाई जावे कि उपखण्ड अधिकारी, चिडावा के न्यायालय में चल रहे अपील में वर्णित दावा के निस्तारण तक अ0धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही स्थगित फरमायी जावे। अन्य कोई सिद्धि जो अपील के अनुक्रम में हो जो भूल से चाही जाने से रह गई हो अपीलाण्ट के हक में जारी फरमायी जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि ख0न0 61 में गैर मुमकिन रास्ता रेकार्ड में गलत दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि पर कोई रास्ता मौजूद नही है। अदालत मातहत ने बिना मौका देखे मनमाने तरीके से विवादित आदेश पारित किया है। नक्शा में जिस स्थान पर रास्ता दिखाया गया है वहां पर ख0न0 61 रास्ता नही है, उक्त रास्ता नक्शे में दिखाये गये स्थान से हटकर अपीलाण्ट के खेत ख0न0 46 की पश्चिम दिशा से 50 मीटर दूरी पर स्थित है तथा उक्त रास्ता उत्तर में ख0न0 821/33 की पश्चिम सीमा से सटते घुसता है तथा दक्षिण में ख0न0 47 में घुसता है जो मौके पर चालू है जिस पर अपीलाण्ट कोई काश्त नही करता है तथा नक्शा में दिखाया गया रास्ता ख0न0 61 पूर्ण रूप से अपीलाण्ट के खेत में व अपीलाण्ट के खेत के उत्तर दक्षिण में खेतो में होता हुआ ग्राम तक बंद है व उक्त रास्ता में वर्तमान में मकानात भी बने हुए है। अपीलाण्ट ने अपने खेत में रास्ता खुला छोड रखा है। जो रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नही है। अपीलाण्ट में खेत के पास के खातेदार जुगलाल पुत्र बनवारी ने अपीलाण्ट के खिलाफ एक धारा 251 ( क ) राज0का0अधि0 का प्रार्थना प्रस्तुत किया था जो साजसी आधार पर फैसल करा लिया गया जबकि अपीलाण्ट के सह खातेदार गिरधारी की काफी समय पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है फिर भी उक्त मृतक की तामील करा दी गई जो संभव नही है। अपीलाण्ट ने उक्त निर्णय की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनूं के यहां प्रस्तुत की जिसको स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली को रिमांड फरमाया गया है। अपील के तथ्यों का विवरण अपीलाण्ट के अपने जवाब नोटिस में किया था परन्तु अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपील का कही भी विवेचन नही किया है। तथाकथित रास्ता ख0न 61 मौके पर अस्तित्व में नही है तथा जो रास्ता मौके पर अस्तित्व में है वह रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज नही है जिसको संशोधित करवाने बाबत अपीलाण्ट ने एक दावा ब उनवानी रामस्वरूप बनाम चांदकोर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा में पेश कर रखा है जो विचाराधीन है जिसकी भी प्रामाणित प्रति अदालत मातहत के समक्ष अपीलाण्ट ने प्रस्तुत कर दी थी परन्तु अदालत मातहत के निर्णय में इसका कही भी विवेचन नही किया और गलत निर्णय पारित कर दिया। भूमि ख0न0 61 में मौके पर कोई रास्ता मौजूद नही है। मौके पर ख0न0 46 की पश्चिम दिशा से 50 मीटर दूर स्थित है जो मौके पर चालू है, जो रेकार्ड में सरकारी कर्मचारियों की गलती से रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज नही हुआ है परन्तु बिना मौके की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.01 17:30:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

जांच किये व प्रस्तुत दस्तावेज पर गौर किये बिना अपीलाण्ट के खिलाफ धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर अदालत मातहत द्वारा गलत आलौच्य आदेश पारित किया गया है। उक्त सभी उज्रातो पर अदालत मातहत ने गौर नही कर अपीलाण्ट के खिलाफ गलत निर्णय पारित किया गया है जिसको निरस्त किया जाकर पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ लौटाई जावे कि माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय चिडावा में चल रहे उपर वर्णित दावा के निस्तारण तक अ0धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। अतः अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 05.10.2021 को निरस्त व अपास्त फरमाया जावे तथा अदालत मातहत को पत्रावली इस आदेश के साथ लौटाई जावे कि उपखण्ड अधिकारी, चिडावा के न्यायालय में चल रहे अपील में वर्णित दावा के निस्तारण तक अ0धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही स्थगित फरमायी जावे। अन्य कोई सिद्धि जो अपील के अनुक्रम में हो जो भूल से चाही जाने से रह गई हो अपीलाण्ट के हक में जारी फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम बुडानिया स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 0.76 किस्म गैर मुमकीन रास्ता मे से 0.06 है0 पर मूंग काश्त कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म रास्ते की है जिस पर अतिक्रमण करने का अपीलान्ट को कोई हक नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम बुडानिया स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 0.76 किस्म गैर मुमकीन रास्ता मे से 0.06 है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि रास्ते की भूमि है। अपीलान्ट को रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2021 यथावत रखा किया जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.01 17:30:40 IST
Reason: SelfAttested